

प्रेषक,

नीना शर्मा,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2016

विषय:- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण हेतु दी जा रही पेंशन/अनुदान की दरों में वृद्धि।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को भरण-पोषण हेतु दी जा रही शासनादेश संख्या-3533/60-1-07-1/13(40)/04, दिनांक 13 अगस्त 2007 द्वारा निर्धारित पेंशन की दर को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजना के अन्तर्गत रू० 300/- प्रतिमाह की दर को बढ़ाकर दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से रू० 500/- प्रतिमाह करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 13.08.2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इस संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों के शेष प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथा प्रभावी रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1332/दस-2016, दिनांक 23.09.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,


(नीना शर्मा)
सचिव

संख्या-249/1/60-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 4- समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(पंचम राम)

अनु सचिव।

प्रेषक,

नीना शर्मा,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-१

लखनऊ: दिनांक २८ सितम्बर, २०१६

विषय:- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण हेतु दी जा रही पेंशन/अनुदान की दरों में वृद्धि।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को भरण-पोषण हेतु दी जा रही शासनादेश संख्या-३५३३/६०-१-०७-१/१३(४०)/०४, दिनांक १३ अगस्त २००७ द्वारा निर्धारित पेंशन की दर को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

२- अतः श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजना के अन्तर्गत रू० ३००/- प्रतिमाह की दर को बढ़ाकर दिनांक ०१ अक्टूबर, २०१६ से रू० ५००/- प्रतिमाह करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक १३.०८.२००७ इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इस संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों के शेष प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथा प्रभावी रहेंगी।

३- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-३-१३३२/दस-२०१६, दिनांक २३.०९.२०१६ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(नीना शर्मा)
सचिव

संख्या- (१)/६०-१-१६, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- २- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- ३- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- ४- समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- ५- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३/नियोजन अनुभाग-३
- ६- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंचम राम)
अनु सचिव।

A.D.

30/9/16